सीकर के नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा ग्रुप द्वारा 2700 करोड़ की धोखाधड़ी

जांच में 1140 करोड़ रुपये की जीएसटी दायरे की अघोषित आय की जानकारी मिली

अलवर, (निसं)। नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा ग्रुप सीकर द्वारा 2700 करोड़ रुपये की लोगों से धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर जांच की। जांच में 1140 करोड़ रुपये की जीएसटी दायरे की अघोषित आय की जानकारी मिली।

जानकारी के अनुसार नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा ग्रुप सीकर द्वारा 2700 करोड़ रुपये की लोगों से धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय अलवर के जय प्रकाश सिहं के निर्देशन में बसंत गढ़वाल, अपर आयुक्त के नेतृत्व में जांच शुरु की। इस ग्रुप ने राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में लगभग 30 जीएसटी फर्म बना कर निवेश करवाया व कोई जीएसटी अदा नहीं की।

जयपुर के अधिकारियों ने इस ग्रुप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जांच की, जिसमे अभी तक यह पाया कि लगभग 2700 करोड़ रुपये नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा, ग्रुप सीकर में वसूल किए और साथ ही यह पाया कि इस ग्रुप ने लगभग 1000 करोड़ रुपये उन लोगों को कमीशन के रुप में दे दिए, जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया और लोगों से निवेश करवाया। इस ग्रुप के द्वारा किया गया यह कार्य जीएसटी के दायरे में आता है और अभी तक की जांच में लगभग 1140 करोड़ रुपये की जीएसटी दायरे की अघोषित आय का पता चला है। जिस पर लगभग 205 करोड़ रुपये की जीएसटी कर चोरी इस ग्रुप द्वारा की गई है।

आर.जी.एच.एस. स्कीम में करोड़ों की दवाईयों के गबन का खुलासा

- **आर.जी.एच.एस. कार्डधारकों के कार्ड का दुरूपयोग करके दवाईयों की खरीद-फरोख्त कर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज**

जोधपुर, (कासं)। आर.जी.एच.एस. कार्डधारकों के कार्ड का दुरूपयोग करके करोडों रूपये की दवाईयों खरीद फरोख्त कर धोखाधडी करने का मुकदमा आरजीएचएस के संयुक्त दिनेशक परियोजना ने बासनी थाने में दर्ज कराया।

बासनी थाने में दी रिपोर्ट में आर.जी.एच.एस. के संयुक्त परियोजना दिनेशक राजस्थान सरकार डा. अभिषेकसिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बासनी क्षेत्र में स्थित सरकारी और प्राईवेट अस्पताल के डाक्टरों की पर्चियों के आधार पर झंवर मेडिकल स्टोर जालोरी गेट के संचालक उमेश परिवाहर और करीब 44 आरजीएचएस कार्ड धारकों ने सरकार को चूना लगाने के लिये फर्जीवाड़ा करके कुटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रूपये की दवाईयों का फर्जीवाड़ा करने का खुलासा जांच के दौरान पाया गया।

जोधपुर से एक दो अस्पतालों की ही और व्यक्ति विशेष के कार्डधारकों से ही निरतंर लाखों रूपये की दवाईया और इलाज की पर्चिया और बिल आने पर मामला संदिग्ध लगा और जब जांच की गई तो उक्त करोडो रूपये के गबन घोटाले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामले की जांच थानाधिकारी जितेन्द्रसिंह स्वयं कर रहे है।

आरोपी ने लूट का मामला दर्ज करा 5.50 लाख का गबन किया

कैशियर को ही कम्पनी की राशि का गबन किये जाने के मामले में गिरफ्तार किया

टोंक, (निसं)। निवाई थाना क्षेत्र में गत 25 सितम्बर को थाने को सूचित किया गया कि दो नकाबपोशों द्वारा एक फाईनेन्स कम्पनी के केशियर के साथ मारपीठ कर नगदी से भरा सात लाख की राशि का बेग लूठकर ले गये। जिसके खुलासे में कम्पनी के कैशियर को ही कम्पनी की राशि का गबन किये जाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस लूठ व गबन का खुलासा करते हुए बताया कि अति. पुलिस अधीक्षक आदर्श चौधरी व निवाई वृताधिकारी महावीर सिंह और थानाधिकारी हरिपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अनुसंधान कार्य किया तो खुलासा हुआ कि जुठाई गई सूचना एवं संदिग्धता के आधार पर परिवादी से पूछताछ की गई, जिसमें एस.के. फाईनेन्स कम्पनी का केशियर गौरव पिछले कई महिने से केशियर का कार्य कर रहा है, जिसने फाईनेन्स कम्पनी की राशि को स्वयं के इस्तेमाल में व मित्रों को देने में तथा जुआ खेलने में खर्च किया गया है तथा आरोपी गौरव फाईनेन्स कम्पनी के एजेन्टो द्वारा दी गई जमा राशि की रसीदें उसके लेपटॉप द्वारा फर्जी रसीदें बनाकर दिये जाना बताया है। इय गबन को छुपाने के लिए उसने झूठे घटनाक्रम का मामला दर्ज कराया है।

घटना के समय आरोपी द्वारा सात लाख रूपये होना बताया गया था, जबकी आरोपी से 77000 रूपये नगद एवं उसका लेपटॉप बरामद किया गया है तथा उसकी पे अकाउन्ट में जमा होना बताया गया है। गिरफ्तार आरोपी गौरव पुत्र छत्रधारी ब्राहम्ण उम्र 30 साल निवासी मायलाकुण्ड गर्ल्स स्कूल के पास वार्ड न. चार के पास कस्बा निवाई का निवासी है।

सीटों की बंदरबांट में कौनसा खेमा बाजी मारेगा, कांग्रेस इसमें उलझी है : राठौड़

भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अजमेर में पत्रकार वार्ता की।

अजमेर, (कासं)। प्रदेश में आगामी माह में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बुधवार को भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। राठौड़ ने अजमेर शहर भाजपा पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के पश्चात राठौड़ ने प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निधाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की टक्कर कांग्रेस से ही है, प्रदेश कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। टिकट की बंदरबांट में उलझी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है।

भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपने एक दिवसीय दौरे पर बुधवार सुबह अजमेर पहुंचे, उन्होंने यहां भाजपा कार्यालय में शहर भाजपा के पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक पश्चात पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की टक्कर कांग्रेस से है, कांग्रेस दो गुटों में बंटी हुई है, एक गुट का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे हैं, तो दूसरे गुट का नेतृत्व मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे हैं। टक्कर इस बात की है सीटों की बंदरबांट में कौन सा खेमा बाजी मरेगा। जिसका नमूना अजमेर में पिछले दिनों देखने को मिला था, जहां एक समारोह में महेंद्र सिंह रलावता और धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थकों के बीच लात घूंसे चले थे।

पायलट की खामोशी आने वाले तूफान का संकेत :- मीडिया को सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट ने अपमान की राजनीति सही है जिसे कोई भूल नहीं सकता। जब किसी को भ्रष्ट, नालायक और निकम्मा कहा जाए तो ऐसा अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। पायलट की खामोशी आने वाले तूफान से पहले की शांति है।

भाजपा में सब की राय के अनुसार टिकट वितरण :- राठौड़ ने कहा कि भाजपा में एक ही गुट है वो नरेंद्र मोदी गुट है। टिकट वितरण पर राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारा कैटेगरी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक पारदर्शिता तरीके से सब की राय के अनुसार टिकट वितरण होता है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ईडी की छापेमारी पर दिए गए बयान पर राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि यदि कोई ईडी की रेड उनकी निगाहों में गलत है तो तथ्यों के आधार पर सामने आकर क्यों नहीं कहते। मुख्यमंत्री को आगे आकर कहना चाहिए कि अब तक ईडी ने जितनी रेड की है यह गलत है। एक बात जरूर मुख्यमंत्री कहते हैं जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक घोटाला हुआ। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह विफल रही है।

युनूस चौपदार ने आमरण अनशन स्थगित किया

अधिकारियों से वार्ता के बाद मिले आश्वासन के बाद सामाजिक कार्यकर्ता युनूस चौपदार ने अनशन स्थगित किया।

उदयपुर, (कासं)। कथित रूप से जनजाति विभाग में फर्नीचर खरीद-फरोख्त मामले में हुए घोटाले को लेकर विगत दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता युनूस चौपदार ने बुधवार को अपना आमरण अनशन स्थगित कर दिया है।

चौपदार के अनुसार जनजाति विभाग के आयुक्त ताराचंद मीणा, अतिरिक्त आयुक्त प्रभा गौतम तथा पुलिस उप अधीक्षक चांदमल सिंगारिया से वार्ता व उनसे मिले आश्वासन के बाद बुधवार को अनशन स्थगित किया गया है। चौपदार ने बताया कि आश्वासन के अनुसार अगर दो अक्टूबर 2023 तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर मैं पुनः अपने परिवार के साथ सत्याग्रह पर बैठूंगा।

मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 189 दिन से धरना जारी

धरनार्थियों ने नारेबाजी करते हुए मालपुरा को जिला बनाने की मांग की

मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना जारी है।

मालपुरा, (निसं)। जिला बनने सभी मापदण्डों से परिपूर्ण होने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मालपुरा को जिला की घोषणा नहीं करने पर जिला बनाओं कोर कमेटी के बैनर तले शुरू किया गया अनशन व धरना बुधवार को 189वें दिन भी जारी।

धरना स्थल पर बैठे शहर के वरिष्ठजनों एवं महिलाओं सहित सभी राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले नेताओं ने एक स्वर में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से मालपुरा को जिला बनाने की मांग की। बुधवार को धरना स्थल पर बैठे कोर कमेटी के पदाधिकारियो एवं धरनार्थियों ने बताया कि कांग्रेस की परम्परागत सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने मालपुरा क्षैत्रवासियों के हितों के साथ कुठाराघात कर दलगत राजनीति का शिकार बनाया है।

मालपुरा से भाजपा का विधायक होने के चलते मुख्यमंत्री ने मालपुरा की जनता से सौतेला व्यवहार कर दूदू जैसी ग्राम पंचायत को जिला बना दिया गया, जबकि मालपुरा जिला बनने की सभी मापदण्डो पर खरा उतरता है। अतिसंवेदनशील मालपुरा मे उपजिला कलेक्टर सहित एएसपी, डीवाईएसपी, एसडीएम, एडीएम स्तर के अधिकारियों के कार्यालय संचालित है। एडीजे कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी पदस्थापित है। शहर से होकर दूदू छाण व जयपुर भीलवाडा स्टेट हाईवे गुजर रहे है। जयपुर से महज 90 किमी. की दूरी पर मालपुरा होने के बावजूद जिला नहीं बनाया गया।

तलाशी में पांच वाहन व 60 लाख की नकदी बरामद

उदयपुर, (कासं)। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान पांच वाहनों को जब्त कर 60 लाख रूपये नकदी बरामद की।

जिला पुलिस अधीक्षक भूवन भूषण यादव के निर्देश पर पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत के नेतृत्व में गठित दल ने आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनजर मंगलवार रात में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान अवैध मादक पदार्थ पीकर वाहन चलाने, अवैध नकदी, अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए वाहनों की तलाशी शुरू की। इस दौरान सीओं पूर्व सर्कल में करीब 250 दुपहिया वाहन, 100 से अधिक हल्के मीडियम वाहनों को चैक किया। प्रतापनगर थानाधिकारी हिमांशुसिंह राजावत के नेतृत्व में गठित दल ने 20 वाहनों की तलाशी की। इस दौरान एक कार में रखे कर्टन की तलाशी ली तो उसमें 60 लाख रूपये नकदी मिली। इस पर वाहन मालिक विशाल मेहता ने पूछताछ में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया।

दो हजार किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद, दो गिरफ्तार

पिकअप में अवैध अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे भरे थे

बाड़मेर, (निसं)। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए दो हजार किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट (विस्फोटक पदार्थ) बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिमों द्वारा उक्त विस्फोटक पदार्थ को अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि सदर थानाधिकारी किशनसिंह को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि बाड़मेर शहर से महाबार की तरफ पिकअप में अवैध अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे भरे हुए आ रहे हैं। जिस पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए महाबार रोड़ की तरफ नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान उक्त वाहन आता हुआ दिखाई दिया जिसको रुकवाकर तलाशी ली तो गई तो उसमें चालीस कट्टों में भरा हुआ दो हजार किलोग्राम अवैध अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ।

पुलिस ने पिकअप जब्त कर विस्फोटक पदार्थ बरामद करते हुए वाहन चालक राजेश विश्नोई पुत्र जैताराम निवासी खेडी सालवा पुलिस थाना डांगियावास, जोधपुर हाल राजीव गांधी कॉलोनी, पुलिस थाना देवनगर, जोधपुर और उसके साथी धीमा राम पुत्र हरलाल विश्नोई निवासी चौहानो की ढाणी धवा पुलिस थाना झवर जोधपुर शहर को गिरफ्तार किया व विस्फोटक पदार्थ बरामद अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया। मामले में अग्रिम अनुसंधान एवं पूछताछ की जा रही हैं।

हथियार सहित एक गिरफ्तार

चार अवैध पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद

बाड़मेर, (निसं)। बाड़मेर जिले में आगामी विधानसभा चुनावों के मध्यनजर पुलिस द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार व विस्फोटक पदार्थ की धरपकड के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह व वृताधिकारी आनंद सिंह के सुपरविजन में सदर पुलिस थानाधिकारी किशनसिंह मय पुलिस टीम और जिला स्पेशल टीम ने मुखबिर की इत्तिला पर कार्यवाही करते हुए एक मुल्जिम को अवैध पिस्टल, मैगजीन व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया की जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ठाकराराम नाई निवासी रामदेरिया जो की अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का धंधा करता हैं, वह अपने पास भारी मात्रा में अवैध हथियारों को लेकर धोरीमन्ना रोड से बाडमेर शहर की तरफ आ रहा हैं। जिस पर डीएसटी टीम व सदर थाना पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नेशनल हाईवे 68 पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान उक्त मुल्जिम ठाकराराम पैदल आ रहा था और पुलिस को देखकर भागने लगा जिस पर पुलिस ने पीछा करते हुए मुल्जिम को दस्तयाब किया।

पुलिस को मुल्जिम की तलाशी में एक थैला मिला जिसमे चार अवैध पिस्टल, चार मैग्जीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी ठाकराराम पुत्र पताराम नाई निवासी रामदेरिया काश्मीर, पुलिस थाना शिव, बाडमेर को गिरफ्तार करते हुए आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी से उक्त हथियारों के खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

उपराष्ट्रपति ने किए ब्रह्मदेव के दर्शन

बालोतरा, (निसं)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान बुधवार को आसोतरा पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ 4.30 बजे वायुमार्ग से भगवान ब्रह्मा के दर्शन हेतु श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा पहुंचे।

श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा पहुँचकर उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव के दर्शन कर मन्त्रोचार के साथ पूजा-अर्चना की। उन्होंने पूजा कर राष्ट्र में शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण कर मंदिर की सुंदरता को निहारा। उपराष्ट्रपति ने गादिपती तुलसाराम महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद देवजी भाई पटेल भी साथ रहे।

मुख्यमंत्री ने बाबा श्याम के दर्शन किए

खाटूश्यामजी, (निसं)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने सीएम को पूजा अर्चना करवाकर श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया।

इस दौरान देवस्थान मंत्री शकुन्तला रावत, कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, क्षेत्रीय विधायक वीरेन्द्र सिंह, नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी, जिला प्रवक्ता गोविंद पटेल भी मौजूद थे। इससे पूर्व रींगस रोड स्थित हेलीपेड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीपैड पर उतरकर सीधे कार से रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने एक दो कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर गाड़ी से ही अभिवादन स्वीकार किया। हेलीपैड पर सीकर विधायक राजेन्द्र पारीक, फूल सिंह ओला, श्याम सुंदर पुनिया, विधायक महादेव सिंह खंडेला सहित अनेक नेता मौजूद रहे। मीडिया के राजनीतिक प्रश्न करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज धार्मिक यात्रा पर आया हूं। यहां कोई राजनीतिक बात नहीं है। मुख्यमंत्री के खाटूश्यामजी दौरे के दौरान खंडेला, सीकर, नीमकाथाना व दांतारामगढ़ विधायक, युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लाम्बा तथा प्रदेश कार्यकारिणी से फूलसिंह ओला व रमेश खंडेलवाल के साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनिता गठाला हैलीपेड पर मौजूद रहे लेकिन मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मूकदर्शक रहे।

G20 | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda | आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्षेत्रीय दबाव ग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, बड़ौदा भवन, द्वितीय तल, 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर-302018
फोन नं.: 0141-2727166, ई-मेल: armjai@bankofbaroda.com

ऋणी को नोटिस
(सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस)

स्थान: जयपुर (राज.)
दिनांक: 06.09.2023

1) मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती इन्दु अग्रवाल पत्नी श्री नीरज कुमार अग्रवाल
रजि.- प्लॉट नं. जे-489 सी, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान
(i) प्लॉट नं. जे-489 बी, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान
(ii) प्लॉट नं. जे-489 डी, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान
(iii) प्लॉट नं. 67 एवं 67ए, इन्द्रापुरी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर, राजस्थान
ई-मेल: (i) agarwalindustries01@gmail.com
(ii) lakshayindustries1@gmail.com
2) श्रीमती इन्दु अग्रवाल पत्नी श्री नीरज कुमार अग्रवाल (प्रोपराईटर)
(i) प्लॉट नं. जे-489 सी, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान
(ii) प्लॉट नं. जे-489 बी, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान
(iii) प्लॉट नं. जे-489 डी, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान
(iv) प्लॉट नं. 67 एवं 67ए, इन्द्रापुरी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर, राजस्थान
ई-मेल: (i) agarwalindustries01@gmail.com
(ii) lakshayindustries1@gmail.com

प्रिय महोदय,
विषय- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के तहत नोटिस।

1. हमारे पत्र सं. वीकेआई/एडीवी/2017-18 दिनांक 28.09.2017 का संदर्भ ले जिसमें विभिन्न ऋण सुविधाओं की स्वीकृति तथा स्वीकृति की शर्तें सूचित की गयी थी। उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार इसके लिये प्रतिभूति उपलब्ध करवाकर, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, आपने ऋण सुविधायें प्राप्त की और उनका उपयोग प्रारम्भ कर दिया। वर्तमान में विभिन्न ऋण/साख सुविधा खातों में बकाया तथा इन देयताओं के लिये निर्मित रक्षित हित निम्नानुसार है-

सुविधा का स्वरूप व प्रकार	सीमा	दिनांक 26.09.2022 के वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज दर	दिनांक 26.09.2022 के वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.08.2023 को बकाया राशि (रूपये में)	बैंक के पास प्रभारित प्रतिभूतियों का संक्षिप्त विवरण
नकद साख सीमा खाता नं 07100500000213 एडहोक नकद साख सीमा	रू. 450 लाख	10%	रू. 6,68,78,237.28 साथ ही ब्याज और कानूनी/अन्य शुल्क/व्यय दिनांक 01.09.2023 से	1. मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती इन्दु अग्रवाल पत्नी श्री नीरज कुमार अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. जे-489 (बी) जो इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार फेस-द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: प्लॉट नं. जे-488(ए), उत्तर: प्लॉट नं. जे-489(सी), दक्षिण: प्लॉट नं. जे-489(ए) 2. मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती इन्दु अग्रवाल पत्नी श्री नीरज कुमार अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. जे-489 (सी) जो इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार फेज-द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: एच-488-डी, उत्तर: जे-489-डी, दक्षिण: जे-489-बी 3. मैसर्स लक्ष्य इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्री नीरज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ईश्वर शरण अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक का विस्तार औद्योगिक प्लॉट नं. जे-489 (डी) जो इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा विस्तार फेज-द्वितीय, सरना डूंगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: एच-487सी, उत्तर: जे-490ए, दक्षिण: जे-489सी 4. श्री नीरज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ईश्वर शरण अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक का विस्तार आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 67, ब्रह्मपुरी, इन्द्रपुरी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. 66, पश्चिम: प्लॉट नं. 67ए, उत्तर: 30 फीट रोड़, दक्षिण: अन्य भूमि/प्लॉट 5. श्री नीरज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ईश्वर शरण अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक का विस्तार आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 67ए, ब्रह्मपुरी, इन्द्रपुरी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. 67, पश्चिम: प्लॉट नं. 68, उत्तर: 30 फीट रोड़, दक्षिण: अन्य भूमि/प्लॉट 6. संयंत्र और मशीनरी और फर्म की अन्य अचल संपत्तियों का दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रभार। 7. फर्म के नाम पर स्टॉक और बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रभार। 8. फर्म के नाम पर अचल सम्पत्तियों पर विस्तार।

*सरफेसी अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसरण में बकाया राशि का विवरण

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 26.09.2022 के अनुसार मांग	4,68,28,006.09/-
2.	दिनांक 26.09.2022 के वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार 31.08.2023 को अप्रयुक्त ब्याज @ 10%	1,99,02,196.47/-
3.	ओए (OA) के खर्च	1,51,536/-
	वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 26.09.2022 के अनुसार वर्तमान मांग	Rs. 6,68,78,237.28/-

2. आप द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप आपका खाता भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा मार्ग निर्देशों के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को गैर निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे द्वारा बार-बार अनुरोध व मांग करने के बावजूद आपने ब्याज सहित अतिदेय ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
3. उपर परिच्छेद में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत् रूप से रक्षित साख सुविधाओं के बारें में अपनी देयताओं को चुकाने में आपकी अक्षमता तथा आपके खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में हम आपको एतद्द्वारा (वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 की प्रवर्तन की धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन) नोटिस देते है तथा मांग करते है कि इस नोटिस की तारीख से 60 दिन के अन्दर उपर परिच्छेद 1 में वर्णित बैंक को आपकी देयता राशि कुल **रू. 6,68,78,237.28 साथ ही ब्याज और कानूनी/अन्य शुल्क/व्यय 01.09.2023** से भुगतान करें और अपनी देयता पूरी करे। हम आपको यह भी नोटिस देते हैं कि भूगतान की तारीख तक ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर हमें उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) की अधीन प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने कि छूट होगी।
4. कृपया नोट करे कि प्रत्येक ऋण सुविधा के लिये जब तक कि उसका पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता, उपरोक्त परिच्छेद (1) में निर्दिष्ट दर से ब्याज लगना जारी रहेगा।
5. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप धारा 13 की ओर आकर्षित करते है जिसके अनुसार हमारी पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना आपको बिक्री, लीज या अन्य (सामान्य Course of Business के अलावा) किसी भी प्रकार से उपरोक्त परिच्छेद 1 में दी गयी रक्षित किसी भी आस्ति का अंतरण करने से वंचित कर दिया गया है। हम यह बताना चाहेंगे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में दिये गये उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।
6. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार आप बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों और अद्यतन ब्याज के साथ देय राशि बैंक को भुगतान करके सार्वजनिक नीलामी/उद्धरण आमंत्रित करने/निविदा/निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय सुरक्षित संपत्तियों को पुनः छुड़ा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त के रूप में नोटिस के प्रकाशन के बाद सुरक्षित संपत्तियों को पुनः छुड़ाने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
7. कृपया नोट करें कि यह मांग पत्र हमें प्राप्त अन्य अधिकारों या प्रतिकारों (जिसमें बिना किसी लिमिटेशन के हमारी बकाया राशियों के संबंध में आगे मांग रखने का अधिकार भी शामिल है) को न ही विपरीत रूप से प्रभावित करेगा और न ही उनका परित्याग माना जायेगा।

भवदीय

(प्रताप सिंह मीणा)
मुख्य प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी